टाइगर रिज़र्व में एम-स्ट्राइप्स तकनीक का विशेष प्रशिक्षण

एक जून से शुरू होगी हाई-टेक गश्ती

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 मई। मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार बढ़ती आबादी को देखते हुए उनकी सुरक्षा और मॉनिटरिंग को हाई-टेक बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार, राज्य के जिन भी वन मंडलों में बाघों की मौजूदगी है, वहां 1 जून 2026 से एम-स्ट्राइप्स प्रणाली के माध्यम से गश्ती अनिवार्य रूप से शुरू की जा रही है।

इसी सिलसिले में पन्ना टाइगर रिज़र्व प्रबंधन द्वारा इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही वन कर्मचारियों को तकनीक में माहिर बनाने के उद्देश्य से पन्ना टाइगर रिज़र्व प्रबंधन द्वारा एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस विशेष प्रशिक्षण अभियान के तहत 26 मई को उत्तर पन्ना वन मंडल के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद 28 मई को दक्षिण पन्ना और छतरपुर वन मंडल के वन कर्मियों के लिए इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वन अमले को एम-स्ट्राइप्स तकनीक में पूरी तरह दक्ष बनाना है ताकि वे जंगलों में बाघों की गतिविधियों पर बारीक नजर रख सकें और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान पन्ना टाइगर रिज़र्व की विशेषज्ञ टीम ने कर्मचारियों को एम-स्ट्राइप्स के नए सॉफ्टवेयर और डेटा एंट्री की बारीकियों से अवगत कराया। इस दौरान मैदानी स्टाफ द्वारा तकनीकी समस्याओं और सॉफ्टवेयर से जुड़े जो भी सवाल पूछे गए, टीम ने मौके पर ही उन सभी शंकाओं का समाधान किया। इस नए तकनीकी सिस्टम के तहत अब वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मॉनिटरिंग की जाएगी। वन कर्मचारी गश्ती के दौरान मानवीय हस्तक्षेप पर नजर रखने, जंगलों में जल स्रोतों की उपलब्धता का आकलन करने, वन्यजीवों के शिकार से जुड़े साक्ष्य जुटाने और शाकाहारी व मांसाहारी वन्यजीवों की उपस्थिति का एक सटीक वैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार करने में सक्षम होंगे। टाइगर रिज़र्व के अधिकारियों के मुताबिक, यह आधुनिक प्रशिक्षण मैदानी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे भविष्य में वन्यजीव प्रबंधन और बाघों के संरक्षण को एक नई मजबूती मिलेगी।

ई-रिक्शा चार्जिंग से बढ़ रहा लाइनों में ओव्हरलोड

घरेलू कनेक्शन से व्यावसायिक ई-वाहन चार्ज करना अवैधानिक

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 मई। जिले में घरेलू बिजली कनेक्शन से ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक लोडिंग वाहन चार्ज करने से फॉल्ट की स्थिति निर्मित हो रही है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई वाहन चालक घरों में लगे सामान्य घरेलू मीटर से रातभर चार्जिंग कर रहे हैं।

लगातार बढ़ते लोड के कारण कई क्षेत्रों में बार-बार फॉल्ट और ओवरलोड की स्थिति भी सामने आ रही है। बिजली कंपनी को चाहिये कि आरटीओ कार्यालय से ई-रिक्शा एवं ई-दोपहिया वाहनों की सूची तैयार कर जांच अभियान शुरू करना चाहिये। क्योंकि पन्ना जिला मुख्यालय ही नही पूरे जिले में कहीं भी चार्जिंग सेंटर नही है सभी अपने अपने घरेलू कनेक्शनों से चार्ज करते है। बिजली अधिकारियों के अनुसार घरेलू कनेक्शन से व्यावसायिक ई-वाहन चार्ज करना अवैद्यानिक है।

तेजी से बढ़ रहे ई-वाहन - पन्ना जिले में पिछले कुछ वर्षों में ई-रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ी है। बस स्टैंड, अस्पताल चौराहा, बाजार और ग्रामीण रूटों पर ई-रिक्शा सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन बन चुके हैं। कम खर्च और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि शहर में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग नेटवर्क की व्यवस्था नहीं होने से अधिकांश वाहन संचालक घरेलू बिजली कनेक्शन पर निर्भर हैं। इससे बिजली लोड बढ़ने और तकनीकी समस्याएं आने लगी हैं।

क्या कहते हैं विभागीय अधिकारी

जब उपरोक्त मामलें में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी पन्ना के जिला अभियंता अमितेश मिश्रा से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ उच्चाधिकारियों द्वारा उपरोक्त मामलें में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है उसी अनुसार उन्होंने अपने समस्त कनिष्ठ अभियंताओं को घरेलू कनेक्शनों से ई-वाहन चार्ज करने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये है इसके लिये एक विशेष अभियान भी चलाया जायेगा।

कानूनविद अनूप नायर की अध्यक्षता में जन परामर्श बैठक 31 को

10.30 बजे टाउन हॉल में होगी बैठक

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 मई। समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण के लिए विधि विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के जनपरामर्श के संबंध में रविवार, 31 मई को सुबह 10.30 बजे टाउन हॉल पन्ना में बैठक आयोजित की गई है।

इस मौके पर यूसीसी के उच्च स्तरीय समिति सदस्य एवं कानूनविद अनूप नायर उपस्थित रहेंगे तथा उपस्थितजनों से जनपरामर्श के साथ आवश्यक सुझाव भी प्राप्त करेंगे। बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित राजनैतिक दल, बार काउंसिल, महिला एवं बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े गणमान्य व्यक्ति, शांति समिति के सदस्य, सामाजिक संगठन तथा सभी समुदाय के प्रतिनिधियों सहित अन्य प्रतिभागी भी उपस्थित रहेंगे। अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे द्वारा जनपरामर्श बैठक में सभी सर्वसंबंधितों से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है।

सागौन की अवैध कटाई करते तीन गिरफ्तार, एक फरार, गए जेल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 मई। पन्ना टाइगर रिज़र्व के मड़ला परिक्षेत्र में वन और वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे सघन गश्ती अभियान के दौरान वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।

क्षेत्र संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक मड़ला के निर्देशों पर मुस्तैद वन अमले को 28 मई को मड़ला परिक्षेत्र की बकचुर बीट में अवैध कटाई किए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए मड़ला परिक्षेत्र अधिकारी वन स्टाफने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर तीन आरोपियों को दबोच लिया, जिनकी पहचान ग्राम खजरी निवासी जग्गे गौड़ पिता जहनु गौड़, ग्राम कुड़ार निवासी ओम सिंह पिता राज बहादुर सिंह गौड़ और ग्राम खजरी निवासी पप्पू गौड़ के रूप में हुई है। ये तीनों आरोपी कोतवाली पन्ना जिला पन्ना के अंतर्गत रहने वाले हैं। इस कार्रवाई के दौरान एक अन्य आरोपी, जिसकी पहचान धाम मोहल्ला पन्ना निवासी सरमन यादव पिता शंकर यादव के रूप में हुई है, वह झाड़ियों की आड़ लेकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वन विभाग की टीम ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के कब्जे से मौके पर एक मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 35 बी 7096, एक नग आरा, एक नग कुल्हाड़ी बेंत सहित, दो नग कटे हुए अवैध सागौन के ठूंठ और 6 नग सागौन की लकड़ी जब्त की है। इस पूरे मामले में वन विभाग द्वारा आरोपियों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पकड़े गए तीनों आरोपियों को 29 मई को पन्ना जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस पूरी घेराबंदी और आरोपियों को पकड़ने की सफ्ल कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक मनौर दिलीप सिंह, बकचुर बीटगार्ड विकास वर्मन, बरधऊ बीटगार्ड आदित्य सिंह गौड़, मनौर बीटगार्ड रविन्द्र सिंह यादव सहित अन्य वन अमले की मुख्य भूमिका रही। फरार आरोपी की तलाश जारी है।

जुएं के बड़े फड़ पर पुलिस का छापा

कार, नगदी समेत 4.67 लाख का मशरूका जब्त

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 मई। जिले में जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अमानगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर पतारा के पास स्थित कब्रिस्तान के नजदीक चल रहे एक जुए के फड़ पर दबिश दी। इस अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर हड़कंप मच गया।

पुलिस ने घेराबंदी कर ताश के पत्तों पर पैसों की हार-जीत का दांव लगा रहे चार जुआरियों को रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में अमानगंज थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रवि सिंह जादौन ने पुलिस टीम के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कब्रिस्तान के पास रोशनी का इंतजाम कर बड़े पैमाने पर जुआ खेल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद गठित की गई विशेष टीम ने जब मौके पर छापा मारा, तो आरोपी ताश की गड्डी के साथ जुआ खेलते पाए गए।

इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार - पुलिस ने मौके से जिन चार आरोपियों को हिरासत में लिया है, वे सभी अमानगंज के वार्ड नंबर 02 स्थित रंगरेज मोहल्ला के निवासी हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आदिल खान, आमिर खान उर्फदानिश खान, गोलू उर्फ बफाती खान और रोहित खान शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफसंबंधित धाराओं के तहत वैधानिक मामला दर्ज कर लिया है।

गाड़ियां और नगदी समेत कुल 4.67 लाख से अधिक की जब्ती - पुलिस ने जुए के फड़ से 17 हजार 500 रुपये की नगदी और 52 ताश के पत्तों के साथ-साथ आरोपियों के वाहनों को भी जप्त किया गया है। मौके से एक टाटा इंडिगो कार, एक स्कूटी और एक बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की गई है।

प्रभारी मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों ने व्यक्त की शोक संवेदनाएं

नवभारत न्यूज

अजयगढ़, 29 मई। अजयगढ़ निवासी वरिष्ठ समाजसेवी एवं व्यापारी बद्री प्रसाद गुप्ता,हीरालाल गुप्ता (गुम्मी सेठ), पुरुषोत्तम दास गुप्ता, मदन गुप्ता की माताजी एवं नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता सरोज गुप्ता की सासू मां के निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है।

गत दिवस म.प्र.शासन के कैबिनेट मंत्री एवं पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद बी.डी. शर्मा, पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि गुप्ता परिवार के निवास पहुंचे। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने ईश्वर से दिवंगत पुण्य आत्मा की शांति एवं परिवारजनों को इस दु:ख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

विकास के नाम पर उजड़ते जंगल और जल स्रोत

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 मई। विकास के नाम पर हो रहे अंधाधुंध खनन और जल स्रोतों के विनाश का दुष्परिणाम अब बेजुबान मवेशियों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। जिले में संचालित खदानों और डंपिंग कार्यों के कारण प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, कुएं और चरागाह पूरी तरह समाप्त होते जा रहे हैं।

जिन स्थानों पर कभी मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध रहता था, वहां अब मिट्टी और राख के ढेर नजर आ रहे हैं। जल स्रोतों के खत्म होने से वन्यप्राणी तथा मवेशी गांव-गांव भटकने को मजबूर हैं और प्यास से तड़पकर दम तोड़ रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही मवेशियों की मौत के बावजूद प्रबंधन और प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गांवों के किसान अपने मवेशियों को बचाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन जल स्रोत समाप्त होने के कारण स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है। वन्यप्राणी तथा मवेशी पानी की तलाश में पहुंचते हैं और दुर्घटनाओं तथा प्यास के कारण उनकी मौत हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र वैकल्पिक जल व्यवस्था, तालाब निर्माण और मवेशियों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और प्रबंधन की होगी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन यदि विकास की कीमत जंगल, जल स्रोत और बेजुबान जानवरों की जान बन जाए तो यह विकास नहीं बल्कि विनाश है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर प्रशासन और प्रबंधन कब जागेगा। अब पूरे जिले की नजर प्रशासन और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

बाल विवाह रोकथाम के लिए ग्राम स्तर तक नियुक्त होंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 मई। बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित अभियानों को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए अब जिला से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है।

यह निर्णय बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत लिया गया है। साथ ही भारत सरकार के 23 अगस्त 2024 के निर्देशों के अनुपालन में नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे बाल विवाह की रोकथाम, निगरानी और त्वरित कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब बाल विवाह रोकने के लिए एक बेहद मजबूत और त्रि-स्तरीय से भी बड़ा प्रशासनिक तंत्र काम करेगा। जिला स्तर पर इसकी कमान जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संभालेंगे, जबकि अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह तहसील स्तर पर तहसीलदार और सभी नायब तहसीलदारों को कानूनन सशक्त बनाया गया है। ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।

उधारी के रुपयों के चलते सल्फास खाकर दी थी युवक ने जान

▶ डॉक्टर डब्बू के विरुद्ध मामला दर्ज

नवभारत न्यूज

अमानगंज, 29 मई। पन्ना जिले के अमानगंज पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक 12 अप्रैल को जहरीला पदार्थ निकलने से उसकी मौत हो जाने की घटना प्रकाश में आई थी। मामले में स्थानीय पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले को जांच में लिया। जांच उपरांत पुलिस ने मामले में डब्बू डॉक्टर को आरोपी बताया और उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

मृतक के परिजन भाई पुष्पेन्द्र सिंह, पिता पहलवान सिंह, पति श्रीमति रीना सिंह राजपूत, कथन साक्षी बुद्ध सिंह राजपूत, राकेश राजपूत, पवन सिंह यादव, रन्जोर सिंह राजपूत एवं पीएम रिपोर्ट आदि से पाया गया कि मृतक कल्याण सिंह राजपूत पिता पहलवान सिंह राजपूत निवासी मझगंवा शेख द्वारा अपने गांव के अर्जुन सिंह यादव को उसकी बहिन की शादी के लिए डॉक्टर डब्बू ताम्रकार से 5000 रूपये उधार दिलवाये थे जो अर्जुन यादव ने वह 5000 रूपये नहीं दिये थे तो डब्बू उर्फराघव ताम्रकार द्वारा मृतक कल्याण सिंह से 5000 रूपये का ब्याज लगाकर एक लाख रूपये मांगने पर दिनांक 12 अप्रेल के 2.00 बजे मृतक द्वारा 75000 रूपये दे देना लेकिन डब्बू उर्फ राघव ताम्रकार द्वारा पूरे एक लाख रूपये मांगने पर मृतक द्वारा बाकी 25 हजार रूपये बाद में देने के लिये कहने पर डॉक्टर डब्बू डॉक्टर द्वारा मृतक को गाली गलौच कर मृतक को एक चांटा मार देना तब मृतक द्वारा डॉक्टर डब्बू से कहना की अब मेरे पास पैसे नहीं है ज्यादा करेंगे तो मैं सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर लूंगा। तब डब्बू डॉक्टर द्वारा कहना है कि मुझे आज ही शाम तक पैसे चाहिये तुमको सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कल करना सो आज कर लो तब मृतक द्वारा सिमरिया हिनौता बायपास के पास गंगाराम तिवारी के खेत की मेंड़ में लगे बबूल के पेड़ के नीचे सल्फास की गोली खाकर अपने भाई पुष्पेन्द्र को फोन लगाकर सारी बात बताने पर मृतक के भाई पुष्पेन्द्र व पिता पहलवान सिंह, रीना सिंह के द्वारा मृतक को ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल अमानगंज ले जाना जहां से डाक्टर साहब द्वारा रिफर करने पर जिला अस्पताल ले जाना जहां पर डाक्टर साहब द्वारा मृत घोषित कर देना जो सम्पूर्ण जांच पर डाक्टर डब्बू उर्फ राघव ताम्रकार पिता स्व. श्री बैजनाथ ताम्रकार उम्र 47 साल निवासी वार्ड क्र. 08 अमानगंज के द्वारा मृतक कल्याण सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरण करना प्रथम दृष्टया अपराध धारा, 115(2), 108 बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। स्थानीय पुलिस के अनुसार सारे मामले में ब्याज के पैसों को लेकर घटना का घटक होना बताया जा रहा है।

लोगों को अब तक नहीं मिल पा रहीं मूलभूत सुविधाएं

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 मई। क्षेत्र के कूपना घाट एवं चौपरा में निवासरत पारधी समाज के लोगों की जिंदगी आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गुजर रही है। शासन की कई जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित होने के बावजूद यहां रहने वाले परिवारों तक उनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी गईं, लेकिन हालात अब तक नहीं बदले हैं। ग्रामीण रज्जो पारधी एवं चेतना ने बताया कि पारधी समाज के अनेक बुजुर्ग आज भी वृद्धा पेंशन योजना से वंचित हैं। पात्र होने के बावजूद उन्हें नियमित पेंशन नहीं मिल पा रही, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं क्षेत्र में पेयजल संकट भी गंभीर बना हुआ हैं। लोगों को रोजाना दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। गर्मी के मौसम में स्थिति और भी विकराल हो जाती है।

सड़क एवं आवास की सुविधा तक नहीं

ग्रामीणों के अनुसार सड़क सुविधा के अभाव में बरसात के दिनों में गांव का संपर्क लगभग कट जाता है। कच्चे रास्तों में कीचड़ और जलभराव होने से आवागमन मुश्किल हो जाता है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बन जाता है। चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिससे कई बार हालात गंभीर हो जाते हैं। आवास की समस्या भी पारधी समाज के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई परिवार आज भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। बारिश और आंधी के दौरान इन मकानों में रहना जोखिम भरा हो जाता है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पारधी समाज की समस्याओं का स्थायी समाधान की मांग की गई है।

पवई पुलिस को मिली बड़ी सफलता

नवभारत न्यूज

पवई 29 मई। फरियादी झल्लू सिंह पिता बसंत सिंह निवासी बखतरी हाल निवासी पवई एवं शरद खटीक पिता दशरथ खटीक निवासी पवई द्वारा थाना पवई में अपनी-अपनी मोटरसाइकिलें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी किए जाने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्राप्त रिपोर्ट पर थाना पवई में अपराध क्रमांक 181/26 एवं 182.26 धारा 303, 2 बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जिसमे पन्ना पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में जिले में सक्रिय वाहन चोरों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह एवं एसडीओपी पवई श्रीमती भावना दांगी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पवई निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेहियों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने थाना पवई क्षेत्र से दो एवं थाना अमानगंज क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से चोरी गई तीनों मोटरसाइकिलें बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।आरोपियों से कुल 03 नग चोरी की मोटरसाइकिलें कुल कीमत लगभग 1,50,000/ डेढ़ लाख रुपये आरोपियों में धनीराम रैकवार पिता पन्नू रैकवार उम्र 32 वर्ष निवासी गुनौर जिला पन्ना निक्की बर्मन पिता सूरज बर्मन उम्र 20 वर्ष निवासी पवई जिला पन्ना विक्की कबीरपंथी पिता जयकरण कबीरपंथी उम 20 वर्ष निवासी पवई जिला पन्ना एक अपचारी बालक उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पवई निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार, प्रधान आरक्षक उपेंद्र रिछारिया, प्रधान आरक्षक बुद्ध सिंह यादव, प्रधान आरक्षक अनिल गर्ग, प्रधान आरक्षक विनोद कुमार, आरक्षक राहुल अहिरवार एवं वाहन चालक नागेंद्र माझी की सराहनीय भूमिका रही।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में जागरुकता कार्यशाला आयोजित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 29 मई। रोजगार के बेहतर अवसर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगारोन्मुख एवं उद्योग आधारित व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 29 मई को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस. डी. चतुर्वेदी एवं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के नोडल अधिकारी डॉ. बी. एन. जायसवाल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शासकीय महाविद्यालय नागौद के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष डॉ. सचिन गोयल, प्राचार्य डॉ. एस. डी. चतुर्वेदी एवं अन्य अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉ. एस. डी. चतुर्वेदी ने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान, कौशल एवं रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ना भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से योजना का अधिकतम लाभ लेने एवं समय रहते पंजीयन कराने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के नोडल अधिकारी डॉ. बी. एन. जायसवाल ने बताया कि योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता, आत्मविश्वास एवं रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 9000 तक का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। साथ ही इंटर्नशिप पूर्ण होने पर विद्यार्थियों को अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा, जो भविष्य में रोजगार एवं करियर निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।

मुख्य अतिथि डॉ. सचिन गोयल ने विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल शैक्षणिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यावहारिक अनुभव, तकनीकी दक्षता एवं उद्योग जगत की समझ भी अत्यंत आवश्यक हो गई है। उन्होंने पोर्टल पर पंजीयन, आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी, आवेदन प्रक्रिया एवं योजना से प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका समाधान विशेषज्ञों द्वारा मौके पर ही किया गया। इस अवसर पर डॉ. नन्द कुमार पटेल, डॉ. अनुराधा चौरसिया, डॉ. पियूषा शर्मा, डॉ. संजय सोनी, डॉ. प्रदीप कुमार रावत सहित महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापकगण उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम में सहभागिता कर योजना के प्रति उत्साह व्यक्त किया।